बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना–800015

ई–मेल

दूरभाष संः– 0612–2217956
फैक्सः– 0612–2215611/2215978
ई–मेलः–ceo_bihar@eci.gov.in

पत्रांकः–ई2–2–09/2016 -36 पटना, दिनांक 06 जनवरी, 2020 ई0।

प्रेषक,

आलोक कुमार,
उप सचिव।

सेवा में,

सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी,
–सह–जिला पदाधिकारी, बिहार राज्य।

विषयः– बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दायर परिवाद की सुनवाई में लोक प्राधिकारों की उपस्थिति के संबंध में।

प्रसंगः– बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी (सामान्य प्रशासन विभाग), बिहार, पटना का पत्रांक–2282 दिनांक–16.12.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर निदेशानुसार आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित की जा रही है।

अनु0:– यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन

6.1.2020.

(आलोक कुमार)
उप सचिव।

E-232562

18997-18-12-19

(84)

0169/LCO
17/12/19

पत्रांक—बि०प्र०सु०मि०सो०/BRPGRA—21/2016 सो० 2282

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी

(सामान्य प्रशासन विभाग)

Joint secy

प्रेषक,

आमिर सुबहानी
अपर मुख्य सचिव—सह—मिशन निदेशक

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक

पटना, दिनांक— 16/12/2019

विषयः— **बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दायर परिवाद की सुनवाई में लोक प्राधिकारों की उपस्थिति के संबंध में ।**

महाशय,

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के रूप में नागरिकों को उनकी लोक शिकायतों पर सुनवाई एवं निवारण के अवसर का कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है । इसमें परिवादी को इसके निवारण के लिए नामित लोक प्राधिकार की बराबरी में आमने—सामने बैठाकर सुनवाई की जाती है जिससे जनता का व्यवस्था के प्रति विश्वास बढ़ता है और उनमें संतोष का भाव उत्पन्न होता है ।

2— माननीय मुख्यमंत्री की **'जल—जीवन—हरियाली यात्रा'** के दौरान आहूत समीक्षात्मक बैठकों में यह ज्ञात हुआ है कि परिवाद के निवारण के लिए नामित लोक प्राधिकारों के सुनवाई में उपस्थित नही होने अथवा परिवाद के निवारण में रूचि नहीं लेने के कारण शिकायतों का समयबद्ध निवारण में कठिनाई उत्पन्न हो रही है । माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इस पर गहरी चिन्ता प्रकट की गयी है तथा सुनवाईयों में लोक प्राधिकारों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए ठोस कदम उठाये जाने तथा लापरवाह कर्मियों के विरूद्ध सेवा नियमों के अनुरूप कठोर कार्रवाई किए जाने का निर्देश दिया गया है ।

3— निदेशानुसार सुनवाईयों में लोक प्राधिकारों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने एवं समयबद्ध निवारण के दृष्टिगत निम्नलिखित निदेश दिए जाते हैं :—

1. सुनवाईयों में लोक प्राधिकारों की उपस्थिति अनिवार्य है । इसमें विधि—व्यवस्था की कोई आत्यांतिक स्थिति, परम आवश्यक कारणों, स्वयं के स्वास्थ्य संबंधी कारणों आदि की स्थिति में ही उन्हें स्वयं उपस्थित रहने से छूट रहेगी परन्तु वैसी स्थिति में उन्हें अपने अधिकृत प्रतिनिधि को प्रतिवेदन के साथ सुनवाई मे उपस्थित होने हेतु भेजना सुनिश्चित करना होगा ।
2. सुनवाई की तिथियाँ विभागवार/लोक प्राधिकारवार निर्धारित की जाएँ ताकि किसी लोक प्राधिकार को सुनवाई हेतु एक ही सप्ताह में एक से अधिक बार लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित न होना पड़े ।
3. निर्धारित की गयी सुनवाईयों की लोक प्राधिकारों को यथासमय सूचना उपलब्ध कराने की जवाबदेही लोक शिकायत निवारण पदाधिकारियों की होगी । लोक प्राधिकारों की उपस्थिति/अनुपस्थिति पोर्टल पर Mark की जाए और इसमें किसी लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा लापरवाही बरती जाती है तो उनके विरूद्ध भी समुचित कार्रवाई की जाएगी ।
4. सभी विभाग अपने विभागान्तर्गत सभी लोक प्राधिकारों को सुनवाईयों में उपस्थित रहने तथा परिवाद का समयबद्ध निवारण करने के लिए अलग से निर्देश जारी करेंगे तथा उसकी एक प्रति बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी को देंगे ।

(लगातार)

D:\d drive\SANJAY 19\MD.docx

5. प्रत्येक माह के अंतिम सोमवार को सभी विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव तथा जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी सुनवाईयों में लोक प्राधिकारों की अनुपस्थिति तथा निवारण में रूचि नहीं लेने के प्रतिवेदित मामलों की समीक्षा करेंगे तथा उस पर समुचित कार्रवाई करेंगे । कितने लोक प्राधिकारों पर किस प्रकार की कार्रवाई की गयी इसकी जानकारी बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी को भी दी जाएगी ।
6. वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक Crime Meeting में उनके जिले में लोक शिकायत निवारण के अंतर्गत प्राप्त मामलों, उनकी सुनवाईयों में लोक प्राधिकारों की उपस्थिति एवं निवारण की स्थिति की अनिवार्य रूप से समीक्षा करेंगे । अनुपस्थिति एवं अनिवारण के मामलों में उनके स्तर से समुचित अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी ।
7. बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा प्रत्येक दो माह पर लोक प्राधिकारों की अनुपस्थिति एवं समय सीमा के अधीन निवारण नहीं कराए गए मामलों की समीक्षा कर संबंधित विभागों को समुचित कार्रवाई हेतु अवगत कराया जाएगा ।

4– अतः उपर्युक्त निदेशों से सभी संबंधित को अवगत कराते हुए सुनवाईयों में लोक प्राधिकारों की उपस्थिति एवं परिवाद का समयबद्ध निवारण सुनिश्चित किया जाए । सुनवाईयों में अभ्यासिक रूप से अनुपस्थिति रहने वाले तथा निवारण में रूचि नहीं लेने वाले लोक प्राधिकारों के विरूद्ध सेवा नियमों के अधीन कठोर कार्रवाई भी की जाए ।

विश्वासभाजन

(आमिर सुबहानी) 16.12.19

अपर मुख्य सचिव–सह–मिशन निदेशक